[3]

केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017

[1]**अधिसूचना सं. 3/2017–केन्द्रीय कर, सा.का.नि. 610(अ) दिनांक 19 जून, 2017**–केन्द्रीय सरकार, माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :

अध्याय 1
प्रारंभिक

नियम 1 : संक्षिप्त नाम, [2][......] और प्रारंभ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 है।

(2) ये 22 जून, 2017 से प्रवृत्त होंगे।

---

1 यह अधिसूचना भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 19.06.2017 को प्रकाशित हुई।

2 शब्द ''विस्तार'' अधिसूचना क्रमांक 7/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.06.2017 द्वारा विलोपित (प्रभावशील दिनांक 22.06.2017)।